न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री विरेन्द्र सिंह यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 46/15

उनवान

1. मिठू पुत्र घासी जाति जाट निवासी ग्राम बूबानिया, नसीराबाद

—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. रामा मुतबन्ना मिश्री जाति जाट निवासी ग्राम बूबानिया, नसीराबाद
2. उप पंजीयक नसीराबाद
3. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 जरियें अधिवक्ता श्री मसूद परवेज
2 व 3 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 20.4.18

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बूबानिया के हाल खसरा नम्बर 75/0.20 व 147/0.18 जिसके पुराने खसरा नम्बर 1530 रकबा 0–10–0, 1531 रकबा 0–15–0 व 1546 रकबा 1–2–0 है प्रार्थी की कयशुदा है।नामान्तरकरण संख्या 52 दिनांक 16.12.1988 से उक्त आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गयी। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख्सा में उक्त आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गयी। जिस कारण अप्रार्थी संख्या 1 उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहा है व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने आराजी मुतनाजा का बैचान कभी नही किया है ना ही सुखदेव अप्रार्थी का विधिक संरक्षक रहा है। उक्त आराजी पर रामा ही काबिज काश्त चला आ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावें।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.5.87 को सुखदेव पुत्र ज्वारा से क्रय की थी। सुखदेव पुत्र ज्वारा ने अप्रार्थी संख्या 1 के संरक्षक की हैसियत से उक्त विक्रय पत्र निष्पादित किया है। उक्त विक्रय पत्र की पालना में कयशुदा आराजी जरियें नामान्तरकरण संख्या 52 दिनांक 16.12.88 से प्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गयी है। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गयी। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज को परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि सुखदेव उसका संरक्षक नही होने से विक्रय पत्र के तथ्य निराधार है। किन्तु इसके समर्थन में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किये है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है। तद्नुसार सविधा का संतुलप व अपूरणीय क्षति की संभावना भी बहक प्रार्थी सिद्व होती है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही सिद्व होगे।

अतः ग्राम बूबानिया के हाल खसरा नम्बर 75/0.20 व 147/0.18 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज दिनांक 20.4.18 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद